आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शास्त्र वाद-120/14	
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **राकेश कुमार शर्मा, पिता-विध्या शर्मा, सा0-आदर्श कॉलोनी, श्यामचक, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5564/गो0 17.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक राकेश कुमार शर्मा, पिता-विध्या शर्मा, सा0-आदर्श कॉलोनी, श्यामचक, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण के द्वारा एक पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे सिमेंट का व्यवसायी हैं। देर रात्रि मे पैसा लेकर घूमना पड़ता है। जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, भगवान बाजार के ज्ञापांक डी.आर. 2450 दिनांक 8.12.14 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 2417 दिनांक 13.12.14, अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक 1/कैम्प दिनांक 11.12.14 तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 2051 दिनांक 11.12.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2417/गो0 दिनांक 13.12.14 के द्वारा आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार भगवान बाजार थाना अभिलेख में आवेदक के विरूद्व कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आवेदक सीमेंट का व्यवसायी है। देर रात्रि में उन्हें सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में पैसा लेकर घूमना पड़ता है, जिससे इनके	

जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, भगवान बाजार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राकेश कुमार शर्मा, पिता–विध्या शर्मा, सा0–आदर्श कॉलोनी, श्यामचक, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1063 दिनांक 22/12/14

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
22/12/14